कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या हिकाए-I/59/2018/सं.रा.भा.स.निरीक्षण/देहरादून/887 दिनांक 24 MAY 2018

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.स.प्र.)

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में दिए गए सुझाव।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री देवेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय को प्रेषित अ.शा. पत्र सं. ई-15013/2/2018 - रा.भा.नी. दिनांक 10.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान जिन मदों पर प्राय: असंतोष व्यक्त किया जाता है, उनका उल्लेख उक्त पत्र में किया गया है। अत: आप से अनुरोध है कि इन मदों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में वृद्धि करना सुनिश्चित कराएं जिससे कि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में किसी अप्रिय/असहज स्थिति से बचा जा सके।

कृपया उपर्युक्त संबंध में कृत कार्रवाई से मुख्यालय (हिंदी अनुभाग) को भी अवगत कराएं ताकि तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचित किया जा सके।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(के.एल. गोयल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त, (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा

अ.शा.प. संख्या ई-15013/2/2018- रा.भा.नी

देवेन्द्र सिंह
आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 23710446

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110119
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA
SHRAM SHAKTI BHAWAN, RAFI MARG,
NEW DELHI-110119

SP-2009

के.भ.नि.आ. के. नि.(मु.) प्राप्त किया 16 MAY 2018 डायरी सं. 427 16/5/18

क.भ.नि.-संगठन EPF Organisation/Central Office केन्द्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग 15 MAY 2018 7449 कम्प्यूटर पंजीकृत सं. नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक: 10 मई, 2018

प्रिय डा० जाय

जैसाकि आप जानते ही हैं कि संसदीय राजभाषा समिति श्रम और रोजगार मंत्रालय के देशभर में फैले विभिन्न कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करती रहती है। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है तथा माननीय संसद सदस्य इसमें भाग लेते हैं और माननीय समिति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना प्रतिवेदन सौंपती है।

2. अभी हाल ही में दिनांक 02.05.2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान समिति ने निम्नलिखित कुछ मदों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया तथा समिति ने कई सुझाव दिए:

(1) हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए तथा उनको बताया जाए कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(2) चूंकि कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है, अत: अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाने चाहिए थे। राजभाषा नियमों का भविष्य में उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

(3) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक बुलाई जाए तथा उस बैठक में प्रश्नावली के पृष्ठ 32 से 44 तक निर्देशों को पढ़कर सुनाया जाए तथा इन निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करायी जाएं।

(4) मुख्यालय विज्ञापन खर्च संबंधी नियम का पालन नहीं कर रहा है। विज्ञापन के लिए निर्धारित कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि हिन्दी के विज्ञापनों पर जरूर खर्च की जाए। भविष्य में यह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(5) प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक भरा जाए तथा भरने से पहले आवश्यक निर्देशों को पढ़ लें। प्रश्नावली में भरे गए आंकड़ों में तालमेल नहीं है। अत: सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति को गलत सूचना न दी जाए।

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से 3 माह के अंतराल पर कराया जाए तथा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाए।

(7) कार्यालय द्वारा धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।

1. क्षे. का. देहरादून को त्वरित कार्रवाई हेतु पत्र भेजें।
2. मद सं. 4 व 8 की अनुपालना हेतु अ.के.आ. (प्र.) एवं मा.सं.प्र. को प्रति भेजें।
3. समस्त कार्यालयों को भी लिखें।

एम.पी.एस. राठौरिया
उप निदेशक (राजभाषा)
M. P. S. RATHORIA
Deputy Director (O.L.)

श्रीमती सुनीता चौहान

(8) राजभाषा संबंधी सभी रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करें ताकि राजभाषा हिन्दी में अधिकाधिक कार्य किया जा सके।

(9) हिन्दी पत्राचार के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए।

(10) माननीय समिति को दिए गए आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 6 माह का समय दिया है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करके पुन: प्रश्नावली भरकर समिति कार्यालय को भेजी जानी है। समिति ने तिमाही आधार पर राजभाषा की प्रगति संबंधी समीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए। मंत्रालय द्वारा 3 माह के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा प्रगति **संबंधी** समीक्षा की जाएगी।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि संबंधित कार्यालय तथा मुख्यालय से उपर्युक्त बिन्दुओं के संदर्भ में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों को निदेश जारी करें कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबंधी मामलों को अति गंभीरता से लेते हुए निरीक्षणोपरांत दिए गए आश्वासनों पर समुचित कार्रवाई करें तथा भविष्य में होने वाले निरीक्षणों के दौरान किसी असहज स्थिति से बचने के लिए राजभाषा नियमों और अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से मंत्रालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

(देवेन्द्र सिंह)

डॉ. वी.पी.जॉय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
14, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066